<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003052011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—531/11</u> संस्थापित दिनांक—28.11.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जि		ार ।				
		,		3	प्रभिर	योजन
विरुद्ध						
01—राकेश कुमार जैन निवासी पानी की टंकी,	। पुत्र कपूर चंदेरी।	चंद्र	जैन	उम्र	35	साल
					आ	रोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।ं						

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 09.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 5/9 भारतीय विस्फोटक अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफतारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी एस एस गौर ने दिनांक 14.09.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि वह घटना दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर थाना चंदेरी में पदस्थ था। वह मय हमराही राजीव शर्मा के साथ कस्बा चंदेरी पहुंचा वहां से रवाना होकर नया बस स्टेंड पहुंचा तो राकेश जैन चंदेरी का बस स्टेंड पर सामान रखे खडा दिखा तब गवाहों महेश मिश्रा एवं राजीव शर्मा के समक्ष सामान चेक किया तो गत्ता के 6 पैकेट बोरियों में बंद उसके उपर नवल नवल किराना प्लास्टिक की बोरियों पर लाल रंग से लिखा देखा, खोलकर चेक किया तो आतिश्वाजी पुग्गी, काशीराम बंब विस्फोटक प्रतीत हुए। उक्त गवाहों के समक्ष राकेश जैन से पूछताछ की तो उसने विक्री के लिए ले जाना बताया। उक्त आतिश्वाजी के संबंध में वैध पत्र मांगने पर उसने न होना बताया एवं आतिश्वाती अवैध रूप से पाई जाने पर उससे आतिश्वाजी जप्त कर पंचनामा बनाया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 386/11 के अंतर्गत धारा 5/9 भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा भारतीय विस्फोटक अधिनियम 9ख के

अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.09.11 को समय 11.30 बजे अपने अवैध आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के विस्फोटक सामग्री बम, पटाखा, एवं अन्य पैकिटों में बंद बिक्री करने के आशय से पाए गए ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 महेश मिश्रा, अभियोजन साक्षी 02 राजीव शर्मा, अभियोजन साक्षी 03 एस एस गौर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 राजीव शर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वे लोग ६ । टना दिनांक को कस्बा भ्रमण करते हुए नए बस स्टेंड की ओर गए थे जहां पर आरोपी सफेद रंग की प्लास्टिक के बोरे में पटाखे रखे हुए पाया था। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार दरोगाजी ने प्रपी 01 के अनुसार उसके समक्ष पटाखे जप्त किए थे और आरोपी को उसके समक्ष गिरफतार किया था। अ.सा. 03 श्यामसिंह गौर ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह आरक्षक राजीव शर्मा को लेकर कस्बा भ्रमण पर गया था तथा बस स्टैंड पर आरोपी कार्टून लिए हुए मिला था जिसको चेक करने पर उसके पास आतिश्वाजी का सामान मिला था जिसके संबंध में उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से मौके पर कार्टून प्रपी 01 के अनुसार जप्त किया था तथा आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफतार किया था एवं वापसी उपरांत प्रपी 04 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी ने प्रकरण के साथ प्रपी 05 का रोजनामचा सान्हा भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्रकरण में एक अन्य साक्षी अ.सा. 01 महेश मिश्रा पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

08— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 पक्षद्रोही हो गया है। प्रकरण में मात्र अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य ही अभिलेख पर है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया। अ.सा. 02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास से पटाखे जप्त किए गए थे। अ.सा. 03 जो कि मामले का विवेचक भी है, के कथनों से भी यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास से अवैध रूप से पटाखे जप्त किए थे। अभियोजन की ओर से इस संबंध में सान्हा प्रपी 05 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। प्रपी 05 से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुए थे तथा नए बस स्टेंड पर आरोपी मिला था जहां पर उसके पास से अवैध रूप से पटाखे जप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटनास्थल के अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, किंतु मात्र इस आधार पर कि अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है

जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला झूठा है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो रहा है कि घ ाटना दिनांक को आरोपी के पास से विस्फोटक सामग्री (पटाखे) बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाए गए।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा भारतीय विस्फोटक अधिनियम 9ख के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

10— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

- 11. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौरिसया का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कारित किया गया है जो कि गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 12. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बिल्क उन्हें यह भी बोध हो कि यदि पटाखे जैसी वस्तु किसी के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के रखी जाती है तो ऐसी दशा में उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड सकते हैं। पटाखे ज्वलनशील वस्तु है जो कि यदि सावधानीपूर्वक नहीं रखी जाती तो बड़ी घटना भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है तथा वह आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति नहीं है। आरोपी की आयु लगभग 36 वर्ष है तथा उसका परिवार है। यदि आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उसके परिवार, बिल्क उसकी आजीविका पर भी पडने की संभावना है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी राकेश कुमार जैन को भारतीय विस्फोटक अधिनियम १ ख के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 7 दिवस का अतिरिक्त साधारण

कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 13. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा गत्ते के छः पैकेट, बंब धमाके कीमती 7200 रुपये जप्ती पत्रक के अनुसार हैं, जो कि मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 15. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)